

संख्या 17736 / सात लाई0-एस-44 (खण्ड-2) / आबकारी नीति / 2021-22
प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

देहरादून दिनांक: फरवरी 15, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु फुटकर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के वार्षिक निर्धारित राजस्व के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 380 दिनांक 15.02.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021-22 अधिसूचना संख्या 62/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून: दिनांक: 30.01.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु फुटकर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आपके द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके द्वारा दुकानवार निर्धारित वार्षिक राजस्व को राजस्व हित में आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021-22 अधिसूचना संख्या 62/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून: दिनांक: 30.01.2021 के अनुपालन में अनुमोदित किया जाता है।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 17737-39 / सात लाई0-एस-44 (खण्ड-2) / आबकारी नीति / 2021-22 / तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
2. उपायुक्त परिक्षेत्र नैनीताल/उधमसिंहनगर तथा देहरादून/हरिद्वार।
3. जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर।
4. आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय, देहरादून।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 380/पांच-आबकारी/व्यवस्थापन/2021-22/दिनांक 15 फरवरी 2021

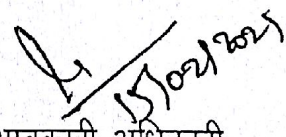
विषय:- वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.23 तक) जनपद बागेश्वर की मदिरा दुकानों के राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-62/XXIII/2021/04(01)/2021 देहरादून:दिनांक :जनवरी 30,2021 एवं आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून की विज्ञप्ति संख्या 17410/सात लाई0/44/आबकारी नीति 2021-23/ विज्ञप्ति/टैण्डर/ 2021-23 /देहरादून: दिनांक:08 जनवरी 2021 के अनुपालन में माह दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लिए जनपद बागेश्वर की मदिरा दुकानों का राजस्व निर्धारण करते हुए राजस्व निर्धारण पत्र संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रेषित है। कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।

वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021-31.03.2022) हेतु निर्धारित राजस्व

[illegible]

जनपद - बागेश्वर।

वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.04.2022-31.03.2023) हेतु निर्धारित राजस्व

क्र.सं.	दुकान का नाम	वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित राजस्व	लाइसेंस फीस (कालम-3 का 1 प्रतिशत)	लाइसेंस फीस हजार के पूर्णांक में	वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित न्यूनतम गारण्टी अभिकर	प्रथम/द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि	घरोहर धनराशि (कालम 3 का 2 प्रतिशत)	कालम 3 का 10 प्रतिशत हैशियत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विदेशी मदिरा दुकान बागेश्वर	149998200	1499982	1500000	148498200	12374850	3749955	14999820
2	विदेशी मदिरा दुकान गरुड़	99064900	990649	991000	98073900	8172825	2476623	9906490
3	विदेशी मदिरा दुकान भराड़ी	59864500	598645	599000	59265500	4938792	1496613	5986450
4	विदेशी मदिरा दुकान काण्डा	29375300	293753	294000	29081300	2423442	734383	2937530
5	विदेशी मदिरा दुकान काफलीगैर	21753000	217530	218000	21535000	1794583	543825	2175300
6	विदेशी मदिरा दुकान शामा	17911800	179118	179000	17732800	1477733	447795	1791180
7	विदेशी मदिरा दुकान कन्धार	16827900	168279	168000	16659900	1388325	420698	1682790
	योग	394795600	3947956	3949000	390846600	32570550	9869890	39479560
8	देशी मदिरा दुकान बागेश्वर	40808700	408087	408000	40400700	3366725	1020218	4080870
9	देशी मदिरा दुकान गरुड़	40264300	402643	403000	39861300	3321775	1006608	4026430
10	देशी मदिरा दुकान भराड़ी	3258600	32586	33000	3225600	268800	81465	325860
11	देशी मदिरा दुकान काण्डा	3803050	38031	38000	3765050	313754	95076	380305
12	देशी मदिरा दुकान काफलीगैर	7069750	70698	71000	6998750	583229	176744	706975
	योग	95204400	952044	953000	94251400	7854283	2380110	9520440
	महायोग	490000000	4900000	4902000	485098000	40424833	12250000	49000000

शहरी नगरा 11/2/2021
11/2/2021
11/2/2021

आवकाश निर्देशक
शहरी नगरा 11/2/2021

जिला आवकारी अधिकारी,
बागेश्वर।
11/2/2021

फैक्ट 11/2/2021
A.D.M

21